<u>न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर</u> ।
<u>जी0आर0नं0ः–941/2022</u>
ओबरा थाना कांड संख्या ः–334/2022

<u>02.09.2022</u>

पिकअप वाहन निवंधन संख्या–JH02BE8967 के स्वामी पप्पु कुमार के द्वारा उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई । आवेदक की ओर से फिहरिस्त दस्तावेज की सूची के साथ उक्त वाहन की कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया है ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उपरोक्त वाहन से सम्बन्धित प्रतिवेदन की मॉग किया जाय ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । उक्त वाद के अनुसंधानक को निर्देश दिया जाता है कि यांत्रिक जॉच परीक्षण प्रतिवेदन के साथ, उक्त वाहन का चालक का नाम, स्वामी का नाम, निवंधन संख्या, इंजन संख्या एवं चेसिस संख्या से सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ, इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक–15.09.2022 तक समर्पित करें कि उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है या नही । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी को भेंजे।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

<u>पश्चात्</u>
02.09.2022

जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग, झारखण्ड को निर्देश दिया जाता है कि पिकअप वाहन निवंधन संख्या–JH02BE8967 का स्कीन प्रतिवेदन दिनांक–15.09.2022 तक समर्पित करें। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेंजे ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।